न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 112/2024

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. नारणाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल निवासी जोगासर तह. सिणधरी जिला बालोतरा 2. भानाराम पुत्र डूंगराराम जाति मेगवाल निवासी एड अमरसिंह तह. सिणधरी जिला बालोतरा	1. मगाराम पुत्र तेजाराम जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 2. रायमल पुत्र हरचन्द जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 3. भेरा पुत्र तेजा जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 4. नरसींगा पुत्र हरचन्द जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 5. चौथी पत्नि रामा जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 6. शाखा प्रबन्धक रा. म.ग्रा.बैक शाखा सिणधरी 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक– 09.12.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत [illegible] तहसील सिणधरी [illegible]वार मण्डल कमठाई के ग्राम धने की ढाणी के खसरा संख्या 264 [illegible] रकबा 23.6309 हैक्टेयर [illegible] सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम धने की ढाणी के खसरा संख्या 264 रकबा 23.6309 हैक्टेयर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	वरंग
1	नारणाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल सा. जोगासर खातेदार	धने की ढाणी	264	0.2427	बा.सोयम	0.01	हरा
2	भानाराम पुत्र डुंगराराम जाति मेघवाल सा. एड अमरसिंह खातेदार	धने की ढाणी	264	0.2427	बा. सोयम	0.01	गुलाबी
3	चौथी पत्नि रामा हि. 473202 / 2097113 नरसींगा पुत्र हरचन्द हि. 1895729 / 8388452 भेरा पुत्र तेजा हि. 1440053 / 8388452 मगा पुत्र तेजा हि. 1264133 / 8388452 रायमल पुत्र हरचन्द हि. 1895729 / 8388452 जाति भांभी सा. देह खातेदार रहन–मगा का सम्पूर्ण हिस्सा RMGB शाखा सिणधरी में।	धने की ढाणी	264	23.1455	बा.सोयम	1.16	आसमानी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नारणाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल निवासी जोगासर तह. सिणधरी जिला बालोतरा 2. भानाराम पुत्र डूंगराराम जाति मेगवाल निवासी एड अमरसिंह तह. सिणधरी जिला बालोतरा		1. मगाराम पुत्र तेजाराम जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 2. रायमल पुत्र हरचन्द जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 3. भेरा पुत्र तेजा जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 4. नरसींगा पुत्र हरचन्द जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 5. चौथी पत्नि रामा जाति भांभी निवासी धने की ढाणी तह. सिणधरी जिला बालोतरा 6. शाखा प्रबन्धक रा. म.ग्रा.बैक शाखा सिणधरी 7. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 112/2024

निर्णय दिनांक :— 09.12.2025

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र माली अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 7 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.12.2025 को **श्री समदर सिंह भाटी** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 09.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 09.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		1 शक्ति [illegible] लिए स्टाम्प 2 अर्जी के लिए स्टाम्प 3 प्लीडर की फीस 4 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	